न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 57/09 (वाद)
GCMS No. : 2009/00207

1. श्री मांगीलाल पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
2. श्री गेहरीलाल पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
3. श्रीमती डालीबाई पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
4. श्रीमती कुकीबाई पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
5. श्रीमती देऊबाई पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
6. श्रीमती कृष्णाबाई पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
7. मु. हीराबाई बेवा लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
8. श्री बंशीलाल पिता खुमा भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
9. श्री वरदीचन्द पिता खुमा भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
10. मु. भंवरीबाई बेवा खुमा भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
11. श्रीमती तुलसी पिता खुमा पत्नी परसराम भील निवासी गुंजोल तह. नाथद्वारा।
12. श्रीमती नर्बदा पिता खुमा पत्नी दूदा भील निवासी बेरन तह. नाथद्वारा।
13. श्रीमती जेती पिता खुमा पत्नी नाथु भील निवासी सांगवा तह. मावली।
14. श्रीमती भगु पिता खेमा पत्नी अमरा भील निवासी मेडता तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री रूपलाल पिता हेमा भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
2. श्री रोडा पिता कन्ना भील निवासी आसना तह. मावली।
3. श्री वालु पिता उदा भील निवासी आसना तह. मावली।
4. श्री गंगाराम पिता उदा भील निवासी आसना तह. मावली।
5. श्री मोती पिता कन्ना भील निवासी आसना तह. मावली।
6. मु. दोलीबाई बेवा गोटिया भील निवासी आसना तह. मावली।
7. श्री दुदा पिता कन्ना भील निवासी आसना तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 12.09.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:17:11 IST
Reason: SelfAttested

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आसना पटवार [illegible] खेमली की वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड

विक्रय पत्र में आराजी नम्बर गलत अंकन होने से सही आराजी अपने नाम घोषित कराने हेतु घोषणा कराने का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अन्य वाद प्रकरण संख्या 48/09 वाद रोडा बनाम रूपलाल बंटवाडे का होने से प्रकरण संख्या 57/09 वाद को प्रकरण संख्या 48/09 के साथ संलग्न किया जाकर प्रकरण संख्या 57/09 में कार्यवाही को स्थगित रखा गया था। प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने आप न्यायालय में एक वाद बंटवाडा व निषेधाज्ञा का पेश किया जो विचाराधीन था तथा उक्त प्रकरण विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी मांगीलाल, गेहरीलाल वगैरा ने घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद मांगीलाल बनाम रूपलाल भी प्रस्तुत किया जो न्यायालय के आदेश अनुसार उक्त घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद पश्चात्वर्ती वाद होने से पूर्व के वाद रोडा बनाम रूपलाल के साथ कन्सोलीडेट कर उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जा रही हैं।

2. यह कि मांगीलाल वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण घोषणा व निषेधाज्ञा का है तथा मांगीलाल वगैरा ने अपने घोषणा के वाद का आधार विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1969 में वर्णित आराजी नम्बर 15, 16 के बजाए आराजी नम्बर 15, 17 गलत अंकित कर देना तथा विक्रय पत्र दिनांक 18.11.1971 में भी आराजी नम्बर 19 के बजाए आराजी नम्बर 15, 16, 17 गलत अंकित कर देना बताया है तथा दोनों ही विक्रय पत्र में गलत आराजी नम्बर अंकित करने से सही आराजी नम्बर कराने हेतु वादी ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना चाहा है जबकि विक्रय पत्र सन् 1969 व सन् 1971 का है तथा वादी यदि उक्त दोनों विक्रय पत्र में गलत आराजी नम्बर बता रहा है तो वादी सक्षम न्यायालय से उक्त दोनों विक्रय पत्र निरस्त कराना होता है तथा विक्रय पत्र निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है इसलिए वादी के वाद की प्लीडिंग के आधार पर ही वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होकर वादी का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारिज होने योग्य हैं।

3. यह कि वादी जब तक दोनों विक्रय पत्र में शुद्धि पत्र या दोनों विक्रय पत्र सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेते तब तक वादी का वाद राजस्व न्यायालय में चल नहीं सकता हैं इसलिए वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज होने योग्य हैं।

4. यह कि वादी ने अपने वाद की कलम संख्या 6 व 7 में दोनों विक्रय पत्र में वर्णित आराजीयात का अंकन गलत होना बताया है वादी ने दोनों विक्रय पत्र में गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:17:11 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर अंकित कर देने से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना चाहा है जो वादी के वाद की प्लीडिंग के आधार पर ही खारिज होने योग्य हैं।

5. अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रकरण संख्या 57/09 वाद मांगीलाल बनाम रूपलाल मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

6. अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करना चाहकर सीधे बहस सुनी जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर अप्रार्थी/वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में रजिस्ट्री के आधार पर घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत कर बताकर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ)जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा वाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वाद पत्र के अवलोकन से वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1969 में वर्णित आराजी नम्बर 15 एवं विक्रय पत्र दिनांक 18.11.1971 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:17:11 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित आराजी नम्बर 15, 16, 17 गलत अंकित करना बताकर आराजी नम्बर 15, 17 के बजाय आराजी नम्बर 15, 16 व आराजी नम्बर 15, 16, 17 के बजाय आराजी नम्बर 19 अपने नाम पर दर्ज करवाना चाहते हैं परन्तु उपरोक्त विक्रय पत्र के अध्ययन से विक्रय पत्र में आराजी नम्बर 15, 17 व 15, 16, 17 का अंकन किया हुआ है एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ही नामान्तरकरण पारित किया हुआ हैं। वादीगण द्वारा विक्रय पत्र में सेहवन से आराजी नम्बर गलत दर्ज होना बताया परन्तु उक्त विक्रय पत्र पुराना होकर उसी आधार पर नामान्तरकरण पारित हुए हैं। रहा प्रश्न विक्रय पत्र में वर्णित आराजी नम्बर बदलकर अन्य आराजी अपने नाम करने का तो वादीगण जब तब उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त अथवा संशोधन नहीं करवा लेते तब तक वादीगण द्वारा चाही गई दाद न्यायालय हाजा से नहीं दी जा सकती हैं। विक्रय पत्र के निरस्तीकरण एवं संशोधन का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं हैं। अतः जब तक वादीगण उक्त विक्रय पत्र को निरस्त एवं संशोधन नहीं करवा लेते, तब तक वादीगण इस न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। उक्त पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली संख्या 48/09 वाद रोडा बनाम रूपलाल को पृथक किया जाकर वाद संख्या 48/09 वाद रोडा बनाम रूपलाल में कार्यवाही पृथक से जारी रहेगी। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:17:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मांगीलाल पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
2. श्री गेहरीलाल पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
3. श्रीमती डालीबाई पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
4. श्रीमती कुकीबाई पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
5. श्रीमती देऊबाई पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
6. श्रीमती कृष्णाबाई पिता लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
7. मु. हीराबाई बेवा लोगर भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
8. श्री बंशीलाल पिता खुमा भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
9. श्री वरदीचन्द पिता खुमा भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
10. मु. भंवरीबाई बेवा खुमा भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
11. श्रीमती तुलसी पिता खुमा पत्नी परसराम भील निवासी गुंजोल तह. नाथद्वारा।
12. श्रीमती नर्बदा पिता खुमा पत्नी दूदा भील निवासी बेरन तह. नाथद्वारा।
13. श्रीमती जेती पिता खुमा पत्नी नाथु भील निवासी सांगवा तह. मावली।
14. श्रीमती भगु पिता खेमा पत्नी अमरा भील निवासी मेडता तह. मावली। .....वादीगण

बनाम्

1. श्री रूपलाल पिता हेमा भील निवासी खेमली स्टेशन तह. मावली।
2. श्री रोडा पिता कन्ना भील निवासी आसना तह. मावली।
3. श्री वालु पिता उदा भील निवासी आसना तह. मावली।
4. श्री गंगाराम पिता उदा भील निवासी आसना तह. मावली।
5. श्री मोती पिता कन्ना भील निवासी आसना तह. मावली।
6. मु. दोलीबाई बेवा गोटिया भील निवासी आसना तह. मावली।
7. श्री दुदा पिता कन्ना भील निवासी आसना तह. मावली। .....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 57/09 (वाद) GCMS No. : 2009/00207

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। उक्त पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली संख्या 48/09 वाद रोडा बनाम रूपलाल को पृथक किया जाकर वाद संख्या 48/09 वाद रोडा बनाम रूपलाल में कार्यवाही पृथक से जारी रहेगी।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.09.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:17:11 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली